

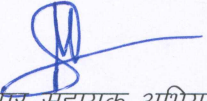
वनभूमि की मांग का औचित्य

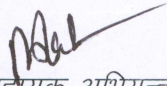
परियोजना का नाम :-

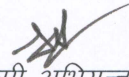
माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 492/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग (5.625 किमी.) (2.520 है०)

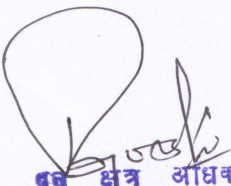
उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 1527/III(2)/15-01 (मु०मं०घो०)/2015 दिनांक 28.01.2015 के द्वारा 5.625 किमी. लम्बाई हेतु 105.03 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। मार्ग निर्माण से ग्राम पूरियचौड़ा, तौलबुधानी के अन्य तोक सहित ग्रामीणों को तहसील मुख्यालय तथा ब्लाक मुख्यालय से सीधे जुड़ने की सुविधा उपलब्ध होगी। मार्ग निर्माण हेतु स्थल पर सर्वेक्षण कार्य कराया गया है परन्तु इस मार्ग निर्माण हेतु ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है जिसमें मार्ग निर्माण से वन भूमि प्रभावित नहीं होती है। स्थल पर मार्ग निर्माण हेतु ऐसा समरेखण प्रस्तावित किया गया है जिसमें न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होती हो।

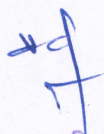
इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखण में 2.160 है० आरक्षित वन भूमि तथा 0.180 है० सिविल बेनाप व वन पंचायत 0.180 है० सहित कुल 2.520 है० वन भूमि प्रभावित होती है। इस हेतु कुल 2.520 है० वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

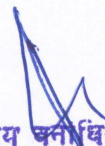

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


वन क्षेत्र अधिकारी,
खोराखी वन क्षेत्र


उप प्रभागीय वन अधिकारी,
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा


प्रभागीय वन अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा